

22/4/25 वडील उमथपडा उपस्थित, पत्रावली सलंगन  
वाड दिनांक 30/4/25 को पेश हो

30/4/25 वडील उमथपडा उपस्थित, पत्रावली वाल्ते  
सलंगन मूल वाड दिनांक 9/5/25 को पेश  
हो

9/5/25 पत्रावली पेश हुई, मूल वाड में का राजी  
हो जाने के कारण निर्णय आदिनांक 9/5/25  
को किया जाने के कारण उक्त प्रार्थना  
पत्र: 212 RTA औचित्यहीन होने के  
कारण उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 RTA  
वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जात  
पत्रावली नम्बर से कुम की जाकर वाड  
नकलील दाखिल दफ्तर हो।

(रत्नलक्ष्मी रायण RAS)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
एडवोकेट जनरल कलेक्टर